संख्याः 2122 /XVII(4)/2011/43/10

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 27 सितम्बर, 2011

विषयः-- आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत "मातृत्व सहयोग योजना" के संचालन हेतु जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3478/आई0जी0एम0एस0वाई0--1536 दिनांक 31--12--2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत "मातृत्व सहयोग योजना" के संचालन/कियान्वयन हेतु जनपद देहरादून में जिला स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- योजनान्तर्गत जिला स्तरीय प्रकोष्ठ के संचालन हेतु 01 जनपद समन्वयक एवं 01 कार्यकम समन्वयक की भारत सरकार के योजनान्तर्गत जारी दिशानिर्देशो के अनुसार तैनाती की जायेगी। उक्त तैनात किये जाने वाले कार्मिको के लिये शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अनुभव निम्नानुसार होंगेः--

क्र. स.	कार्मिक का पद नाम व संख्या	शैक्षिक योग्यता	अधिकतम आयु	अनुभव
1	जनपद समन्वयक--1	एम0एस0 डब्लू0/एम0ए0 समाजशास्त्र/ अर्थशास्त्र	40वर्ष	3 वर्ष का सरकारी क्षेत्र या अन्तर्राष्ट्रीय एन0जी0ओ0 में कार्य का अनुभव
2	कार्यकम समन्वयक--1	2 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा	35 वर्ष	1 वर्ष का सरकारी क्षेत्र में या अन्तर्राष्ट्रीय एन0जी0ओ0 के साथ एम0एस0 वर्ल्ड, एक्सल का कार्य अनुभव

3-- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ के संचालन हेतु अनावर्ती व्यय हेतु रू0 1.30 लाख एवं आवर्ती व्यय हेतु रू0 6.56 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 7.86 लाख (रू0 सात लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय

स्वीकृति भी निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	मद	राशि (रू0 में)
क. अनावर्ती व्यय		
1.	कार्यालय का फर्नीचर और अन्य उपकरण (मेजे, कुर्सियां, अलमारियां इत्यादि)	50,000
2	वेब कैमरा और यू0पी0एस0 सहित 2 कम्प्यूटर 35,000/- रू0 की दर से तथा 10,000/- रू0 की दर से एक प्रिंटर कम स्कैनर	80,000
	कुल (क)	**1,30,000**
ख. आवर्ती व्यय		
3.	कर्मचारियों का वेतन	
	20,000/- रू0 की दर से 1 जिला समन्वयक	2,40,000
	10,000/- रू0 प्रतिमाह की दर से 1 कार्यकम सहायक	1,20,000
	कुल वेतन	**3,60,000**
4	स्थान का किराया (यदि जिला आई0सी0डी0एस0 प्रकोष्ठ के परिसर में स्थान उपलब्ध न हो) 3,000/- रू0 प्रतिमाह ग 12 माह (वास्तविक भुगतान के अनुसार)	36,000
5	राज्य सरकार में लागू दरों के अनुसार इंदिरा गांधी मातृत्व सहायोग योजना के कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता (वास्तविक संख्या के अनुसार)	1,00,000
6	5,000/- रू0 प्रतिमाह की दर से प्रशासनिक खर्च (पानी, बिजली, डाक, लेखन सामग्री, एस0टी0डी0, सहित दूरभाष, जैरोक्स मशीन इत्यादि)	60,000
7	विविध आकस्मिक खर्च	1,00,000
	कुल (ख)	**6,56,000**
	कुल व्यय (क+ख)	**7,86,000**

4- उक्त प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले उपरोक्त कार्मिको के चयन हेतु चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:-

(I) सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष

(II) निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड देहरादून — सदस्य सचिव

(III) सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व कम्प्यूटर के क्षेत्र, मानव विज्ञान के क्षेत्र का विषय विशेषज्ञ — सदस्य

4— उक्त योजना के संचालन/कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार के शासनादेश संख्या 9—5/2010—आई0जी0एम0एस0वाई दिनांक 18—11—2010 में निहित प्रतिबन्धो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न सामग्री/उपकरण आदि के कय से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—02—समाज कल्याण—102बाल कल्याण—01—केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0126—मातृत्व सहयोग योजना (100 प्रतिशत के0पो0) की सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

6— उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0संख्या/187(P) XXVII(3)/2011-12 दिनांक 23—9—2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या: 2122 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संयुक्त सचिव/निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिला कार्यकम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव